

बी.कॉम. II (केवल नियमित विद्यार्थियों के लिए)

Group-II - Business Management

DATE-29/09/2020

Paper - Second, Company Law (कंपनी अधिनियम)

Time - 3 Hours

Maximum marks 75

नोट - सभी पांच प्रश्नों की उत्तर दीजिए ? प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है।

[इकाई-01]

कंपनी से आप क्या समझते हैं? कंपनी के विभिन्न प्रकारों को भी समझाइए?

अथवा
इस निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है? एक निजी कंपनी को प्रांत कानूनी अधिकारों और दूतों को अंतर।

[इकाई-02]

पार्षद अन्तर्नियम से क्या आराय है? यह पार्षद सीमानियम से किस प्रकार भिन्न है? यह अंतर कि अन्तर्नियम में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है?

अथवा

प्रविवरण को परिभाषित कीजिए? इसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए स्थापन प्रविवरण में अंतर बताइए।

[इकाई-03]

पूँजी के प्रबन्ध से क्या तात्पर्य है? कंपनी के ऋण लेने के अधिकार सम्बन्धी प्रावधानों को बताइए।

अथवा

भारत में कंपनी संचालकों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों का वर्णन कीजिए?

[इकाई-04]

वैधानिक सभा क्या है? वैधानिक सभा के संबंध में सचिव के कर्तव्य एवं अधिकार लिखिए?

अथवा

दिल्ली नियम :- ① एजेंडा ② गणपूर्ति

[इकाई-05]

इस कंपनी के समापन का क्या आशय है? समापन की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

अथवा

"बहुसंख्यक का निर्णय मान्य होता है।" कंपनी प्रबन्ध का यह सिद्धांत है। क्या इस नियम के कोई अपवाद हैं?